vLirky ds vkns'k ds }kjk fcuk ikcfn;ksa ds vLirky esa nkf[ky djuk

(मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का अनुच्छेद 37)

1. रोगी का नाम	
2. आपकी देखभाल के लिए प्रभारी व्यक्ति का नाम (आपके लिए "ज़िम्मेदार क्लीनिशियन")	
3. अस्पताल और वार्ड का नाम	
4. आपके अस्पताल के आदेश की तिथि	

esa vLirky esa D;ksa gw¡\

आपको इस अस्पताल में न्यायालय के आदेश पर रखा जा रहा है। न्यायालय ने कहा है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 के अनुच्छेद 37 के तहत यहां रखा जा सकता है।

इसे ही "अस्पताल का आदेश" कहते हैं। इसका मतलब है कि दो डॉक्टरों ने न्यायालय को बताया है कि उनके अनुसार आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और आपको अस्पताल में रखना ज़रूरी है।

esa ;gka fdrus le; rd jgw¡xk\

पहले आपको यहां पर छः महीनों तक रखा जा सकता है ताकि आपको आपकी आवश्यकता का उपचार दिया जा सके।

इस समय अवधि के दौरान आपको यह जगह छोड़कर तब तक नहीं जाना है जब तक कि आपकी देखभाल का प्रभारी व्यक्ति (आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिसियन) आपको ऐसा करने को न कहे। यदि आप जाने की कोशिश करते हैं तो स्टाफ आपको रोक सकता है, और यदि आप चले जाते हैं तो आपको वापस लाया जा सकता है।

blds ckn D;k gksxk\

आपके लिए ज़िम्मेदार चिकित्सक को जब यह महसूस होगा कि आप अस्पताल छोड़कर जाने लायक स्वस्थ हो गए हैं तब वह आपको बता देंगे। यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन को यह लगेगा कि आपके लिए अस्पताल में छः महीने से अधिक समय तक रहना ज़रूरी है तो वे अस्पताल में आपके रहने की समय अवधि

को अगले छः महीनों, और फिर 1 वर्ष तक के समय के लिए बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक समय अवधि के समाप्त होते समय आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे।

D;k e vihy dj ldrk g\

हां। आप न्यायालय से अपने मामले पर फिर से विचार करने को कह सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको यह जल्दी ही करना होगा और किसी वकील से अपनी मदद के लिए कहना सबसे अच्छा है। अस्पताल के स्टाफ से इस बारे में पूछें और वे आपको एक और पुस्तिका देंगे।

आप अस्पताल के प्रबंधकों से भी कह सकते हैं कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने दिया जाए। आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अस्पताल में रखा जाना चाहिए या नहीं यह फैसला करने के लिए अस्पताल के अंदर गठित एक विशेष समिति के लोग ही अस्पताल के प्रबंधक होते हैं। आपको जाने दिया जाए या नहीं यह फैसला करने से पहले अस्पताल के प्रबंधक आपके साथ बात करना चाह सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस पते पर लिख सकते है :

या आप स्टाफ के किसी सदस्य से अस्पताल के प्रबंधकों के साथ आपका संपर्क कराने में सहायता करने को कह सकते हैं।

आपके अस्पताल का आदेश दिए हुए छः महीने हो जाने के बाद, आप और आपका सबसे करीबी रिश्तेदार भी न्यायाधिकरण से कह सकते हैं कि अब आपको अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए। इस पुस्तिका में आगे दिया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है।

U;k;kf/kdj.k D;k gkrk g vkj mlI D;k gkxk\

न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र पैनल होता है जो यह फैसला कर सकता है कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। यह आपके साथ और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ के साथ एक बैठक करेगा। इस बैठक को "सुनवाई" कहा जाता है। यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से सुनवाई में अपनी सहायता करने को आने के लिए कह सकते हैं। सुनवाई से पहले, न्यायाधिकरण के सदस्य आपके और आपकी देखभाल के बारे में अस्पताल की रिपोर्ट पढेंगे। न्यायाधिकरण का कोई सदस्य आपसे बात करने भी आएगा।

e U;k;kf/kdj.k dk dc vkonu dj ldrk g\

आपके अस्पताल का आदेश दिए हुए छः महीने हो जाने के बाद, आप और आपका सबसे करीबी रिश्तेदार अगले छः महीनों के दौरान एक बार न्यायाधिकरण के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जब तक आप अस्पताल में हैं तब तक आप दोनों प्रत्येक वर्ष एक बार आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहें तो आप इस पते पर लिख सकते हैं :

The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN फोन 0845 2232022

आप किसी वकील से अपने लिए न्यायाधिकरण को लिखने और सुनवाई के समय आपकी मदद करने को कह सकते हैं।
अस्पताल और लॉ सोसाइटी के पास इसमें विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की एक सूची है। आपको इस विषय में वकील से सहायता लेने के लिए भुगतान नहीं करना होगा। कानूनी सहायता योजना के तहत यह निःशुल्क है।

e>s D;k mipkj fn;k tk,xk\

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन और अस्पताल का अन्य स्टाफ आपसे ऐसे किसी उपचार के बारे में बात करेगा जिसकी आपको अपनी मानसिक अस्वस्थता के लिए आवश्यकता हो। अधिकांश स्थितियों में आपको उनकी सलाह माननी होगी।

तीन महीनों बाद, आपकी मानसिक अस्वस्थता के लिए आपको दी जा रही दवाओं या औषधियों के संबंध में विशेष नियम लागू होंगे। यदि आप दवाएं या औषधियां नहीं लेना चाहें, या फिर भले ही उन्हें लेना चाहें लेकिन आप बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए हों, तो इस अस्पताल से बाहर का एक डॉक्टर आपसे मुलाकात करने आएगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर आपसे और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ से बात करेगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर इस बात का फैसला करेगा कि आपको कौन–सी दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं। यदि आपात स्थिति आ जाए, तो आपकी सहमति के बिना आपको सिर्फ यही दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं।

स्वतंत्र डॉक्टर को एसओएडी (द्वितीय राय हेतु नियुक्त डॉक्टर) कहा जाता है और उसे एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा नियुक्त किया जाता है जो यह निगरानी करता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है।

कुछ विशेष उपचारों, जैसे इलेक्ट्रो–कनवल्सिव थेरेपी (ईसीटी), के लिए भिन्न–भिन्न नियम हैं। यदि स्टाफ को यह महसूस हो कि आपको इन विशेष उपचारों में से किसी एक की ज़रूरत है, तो आपको नियम समझाए जाएंगे और आपको एक और पुस्तिका दी जाएगी।

viu lcl djhch fj'rnkj dk tku

इस पुस्तिका की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे मानसिक स्वास्थ्य कानून आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कहता है।

मानसिक स्वास्थ्य कानून में ऐसे लोगों की एक सूची है जिन्हें आपके रिश्तेदार समझा जाता है। सामान्यतः, उस सूची में सबसे ऊपर मौजूद व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जो इस बात को विस्तारपूर्वक बताती है और यह बताती है कि आपकी देखभाल और उपचार के संबंध में आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के क्या अधिकार हैं।

आपके मामले में, हमें यह बताया गया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार है :

यदि आप नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त हो, तो कृपया अपने नर्स या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य को बताएं।

viu lcls djhch fj'rsnkj dk cnyuk

यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप काउंटी कोर्ट में उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें विस्तार से यह बताया गया है।

vkids i=

जब तक आप अस्पताल में हैं आपके लिए भेजे गए सभी पत्र आपको दिए जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को पत्र भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो कहे कि उन्हें आपसे पत्र नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को अस्पताल का स्टाफ रोक देगा।

dk;ZvH;kl lafgrk

कार्यअभ्यास संहिता अस्पताल के स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य कानून के बारे में और मानसिक अस्वस्थता वाले लोगों का उपचार करने के बारे में सलाह देती है। आपकी देखभाल के बारे में स्टाफ द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें संहिता में कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप चाहें, तो आप संहिता की एक प्रति देखने के लिए कह सकते हैं।

eSa f'kdk;r dSls dj ldrk gw¡\

यदि आप अस्पताल में अपनी देखभाल और उपचार के संबंध में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से कहें। वे संभवतः मामले का निपटारा कर सकें। वे अस्पताल की शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप स्थानीय प्रशासन के ज़रिए शिकायत का समाधान निकालने में कर सकते हैं। वे आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं जो शिकायत करने में आपकी मदद कर सकता हो।

यदि आपको लगता है कि अस्पताल की शिकायत की प्रक्रिया आपकी मदद नहीं कर सकती, तो आप किसी स्वतंत्र कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इस बात पर नजर रखता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है और अस्पताल में रहने के दौरान रोगियों की उचित देखभाल की जाती है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें कमीशन से संपर्क करने के बारे में बताया गया है।

vf/kd lgk;rk vkj tkudkjh

यदि अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई बात आप नहीं समझ पाए हों, तो स्टाफ का एक सदस्य इसे समझने में आपकी मदद करेगा। यदि इस पुस्तिका की कोई बात आप नहीं समझ पाएं हों या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हों जिनके जवाब इस पुस्तिका में नहीं दिए गए हों तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से समझाने को कहें।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस पुस्तिका की एक और प्रति चाहते हों तो कृपया बताएं।